राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर
प्रार्थना पत्र सं. 47/2023 CNR No. 2023/150
राजेन्द्र प्रसाद बनाम खिलाडी वगै.
निर्णय दिनांक 20.01.2026

# राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

| मुकदमा संख्या | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 47/2023 | 01.09.2023 | 20.01.2026 |

**बउनवान**

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र कल्याण दास, निवासी घाटा टुडियाना, तहसील महवा, दौसा।

..प्रार्थी/सायल

**बनाम**

1. खिलाडी पुत्र सोन्या, निवासी घाटा बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. भगवानसहाय पुत्र सोन्या, निवासी घाटा बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
3. लालाराम पुत्र राधे, निवासी घाटा बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
4. बनैसिंह पुत्र हरीराम, निवासी घाटा बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
5. किशोरी पुत्र हरीराम, निवासी घाटा बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
6. तोताराम पुत्र भगवान सहाय, निवासी घाटा बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
7. पप्पूराम पुत्र टीटोडया, निवासी घाटा बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
8. बलराम पुत्र पप्पू, निवासी घाटा बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
9. हरकेश पुत्र पप्पू, निवासी घाटा बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
10. मुरारी पुत्र मनफूल, निवासी घाटा बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
11. तहसीलदार बैजूपाडा, दौसा।

..अप्रार्थीगण/गैरसायलान

**उपस्थित**

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री धर्मसिंह राजपूत।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1,3,4,7,9,10 – श्री खेमसिंह गुर्जर।

## प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

## निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की भूमि विवादित आराजी खसरा सं. 2094 रकबा 0.31 हैक्टे. ग्राम बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा में स्थित है जो प्रतिवादी सं. 11 लगा. 16 के दादा रामदास पुत्र रामस्वरूपदास के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। विवादित आराजी से गैरसायल सं. 1 लगा. 10 का किसी भी प्रकार का सम्बन्ध व सरोकार न तो वर्तमान में है ना ही कभी पूर्व में रहा है। उक्त आराजी का बजमाने बुजुर्गान करीब 55 वर्ष पूर्व से सायल के पिता व उसके बाद सायल व दावा प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 16 शान्तिपूर्वक बेरोकटोक उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। सायल के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

रामदास पुत्र रामस्वरूप दास फौत

कल्याण दास चेला रामदास फौत

जगदीश, राजेन्द्रप्रसाद, बीना, आशा, दीनदयाल, विमला, सुशीला, उपरोक्त सजरा के अनुसार मृतक खातेदार रामदास सायल के दादा है तथा उनकी खातेदारी की आराजी उनके वारिस कल्याण दास के नाम विरासत का नामान्तकरण नहीं खोला गया तथा उनका भी देहान्त हो चुका है। इसलिये अब सायल व दावा प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 16 ही उनके विधिक वारिसान है जो घोषणा करवाने के अधिकारी है। गैरसायल सं. 1 लगायत 10 लाठी वाले पैसे वाले है जो आये दिन वादी की भूमि पर कब्जा करने के फिराक में रहता है। दिनांक 10.07.2023 को सायल पर बाजरे की फसल के लिये देखभाल करने गया तो उक्त आराजी पर गैरसायल सं. 1 लगायत 10 हाथों में लाठी फावडा लेकर जबरदस्ती कब्जा करने की नियत से आ गये तथा वही पर रास्ते की तरफ पडे हुये पेडों को उठाने से मना किया तो सायल ने कहा कि यह मेरे पूर्वजों की खातेदारी की आराजी है इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। आप इसमें नडाई गुडाई करने व पेड़ों को उठाने से मना क्यों कर रहे। इतने में गैरसायल सं. 1 लगायत 10 एकदम आग बबूला हो गये और सायल को गालियां देना शुरू कर दिया और सायल को ऐलानिया धमकी दी कि हम लाठी के बल पर तेरी सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा कर तुझे बेदखल करेंगे और तेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करेगें। सायल द्वारा काफी निवेदन करने पर गैरसायल सं. 1 लगायत 10 मानने को तैयार नहीं है और सायल की आराजी पर जबरदस्ती कब्जा करने पर आमादा है सायल के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे है और सायल को मारने दौडा। इस पर सायल ने भाग कर अपनी जान बचाई। यदि गैरसायल सं. 1 लगायत 10 अपने गेर मन्सूबे में सफल हो गये तो सायल को हमेशा हमेशा के लिये अपने हक हकूको से महरूम हो जायेगा जिसकी क्षति पूर्ति किया जाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी और सायल अपनी अपने पूर्वजों से विरासत में मिली खातेदारी की आराजीयात का उपयोग उपभोग करने से वंचित हो जायेगा। गैरसायल सं. 1 लगायत 10 लाठी वाले पैसा वाले व राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है और ऐलानिया कहा कि हमारे उपर कोर्ट आदि मुकदमा करने पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पडेगा। सायल अकेला शान्तिप्रिय व्यक्ति है। इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजिमी आया है। सायल को वादग्रस्त आराजी उनके पूर्वज रामदास से विरासत में प्राप्त हुई है तथा भौतिक रूप से काबिज काश्त है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। वादग्रस्त आराजी से गैरसायलान का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। यदि गैरसायलान अपनी धमकी में सफल हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी जबकि गैरसायलान को पाबंद करने पर उनको किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं है। इसलिये अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु भी सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः अर्ज है कि गैरसायलान को दौराने दावा इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि विवादित आराजी पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करे, सायल को उसकी आराजी में पडे हुये पेडों को उठाने व उपयोग उपभोग करने व सायल को उनकी आराजी में नडाई गुडाई करने से नही रोके। सायल के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

करें ना ही अवरोध उत्पन्न करे उक्त कार्य न तो स्वयं करे और ना ही नौकरों व एजेण्टों से करावें।

2. विद्वान प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। विद्वान प्रार्थी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व दिनांक 01.09.2023 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि उक्त विवादित आराजी में सायल के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से रूकावट,मजाहमत पैदा नहीं करें।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 1 लगायत 11 ने न्यायालय कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर जबाव का अवसर बन्द किया गया।

4. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

*212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –*

*(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या*

*(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।*

*तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।*

*(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।*

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार, विवादित आराजी प्रार्थी के दादा के नाम दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है। प्रार्थी संबद्ध वादपत्र के जरिये उक्त पैतृक आराजी में अपने हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहता है जिसका निर्धारण वादपत्र में साक्ष्य उपरांत गुणावगुण पर होगा। इसलिए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थना पत्र से संबंद्व वादपत्र के लम्बित रहने तक विवादित आराजी पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण द्वारा दखलंदाजी करने से प्रार्थी के भूमि पर उपयोग में बाधा होगी तथा प्रार्थी को भारी क्षति होगी । आराजी के उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजी को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

## आदेश

6. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम बालाहेडा, पटवार हल्का बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खसरा सं. 2094 रकबा 0.31 हैक्टे. के संबंद्व में इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 01.09.2023 को प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक, सम्पुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी में किसी भी प्रकार से रूकावट, मजाहमत, मदाखलत पैदा नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 20.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी • मण्डावर (दौसा) •